# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खाद्य शाखा राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक / 159-खाद्य / 2024

राजगढ, दिनांक 25 / 07 / 2024

## विज्ञप्ति

विषय :– अनुविभाग राजगढ में उचित मूल्य दुकान विहिन ग्राम पंचायतो में उचित मूल्य दुकान का आवंटन करने के लिए ऑनलाईन आवेदन हेतु विज्ञप्ति जारी करने बावत।

––00––

मध्यप्रदेश शासन के mrationmitra.nic.in पोर्टल पर नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानो के आवंटन हेतु विज्ञप्ति कमांक 2117, 2074 ,7327,895, 462, 019 एवं 159 के अन्तर्गत आवेदन आमन्त्रित किये गये थें। आवेदनो का समिति द्वारा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न 04 ग्रांम पंचायतो के आवेदन अपात्र या आवेदन अप्राप्त पाये गये है एवं अनियमित्ता के कारण निरस्त की गई दुकाने संख्या 01 , इस प्रकार 05 ग्राम पंचायतो हेतु अतः पूनः कुल 05 ग्राम पंचायतो मे नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानो आवंटन के लिए नियमानुसार पात्र समितियो हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

अतः कुल 05 दुकानो की पुनः विज्ञप्ति जारी की जाये। ग्राम पंचायतो हेतु नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानो आवंटन के लिए मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अनुसार :–

01. कंडिका 8(1) सहपठित अनुसूची "दो" में संशोधन दिनांक 11 अप्रेल , 2016 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु निम्नांकित संस्थाए /समूह /समिति पात्र हैः–

(क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत (I) उपभोक्ता सोसायटी , (II) विपणन सोसायटी (IV) संसाधन सोसायटी (V) बहुप्रयोजन सोसायटी (ख) महिला स्व सहायता समूह (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समिति आदि ।

02. कंडिका 8(4) के अनुसार कोई संस्था अपने कार्यक्षेत्र से बाहर स्थिति दुकान के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगी।

03. कंडिका 8(5) के अनुसार एक उचित मूल्य दुकान के लिए एक से अधिक पात्र संस्थाओं के आवेदन प्राप्त होने पर दुकान आवंटन प्राधिकारी, कण्डिका 8 के अध्यधीन रहते हुए पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए लॉट के द्वारा संस्था का किया जायेगा ।

04. कंडिका 8(7) प्रत्येक दुकन के लिए प्रतिभूति निक्षेपन राशि 5,000 रूपये प्रति दुकान जमा होगी ।

05. कंडिका 8(11) आवेदक सोसाइटी / संस्था / समूह के पास एक माह के आबंटन के समतुल्य सामग्री के भंडारण एवं वितरण के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

06. कंडिका 9 (1) के अनुसार महिला स्व.सहायता समूह को आवंटित दुकान की विक्रेता भी महिला ही होगी।

07. कंडिका 10 (02) के अनुसार प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक विक्रेता , जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बारहवीं उत्तीर्ण होगी, सोसाइटी /संस्था/समूह के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।

08. मध्प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की अनुसूची दो के विन्दु क्रमांक 3 के अनुसार ऐसी संस्था जिसका पंजीयन उचित मूल्य दुकान आंबटन हेतु आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्व का न हो, उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार पात्र समितियों हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। अनुविभाग राजगढ अन्तर्गत ग्राम पंचायतो के नाम जिनमे दुकान खोली जाना है :–

ग्राम पंचायत (1) हिरनखेडा , (2) खेडीपाका, (3) लसूडलीधाकड, (4) सनखेडी (5) सरेड़ी

राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेवसाईट rationmitra.nic.in पोर्टल पर उक्त वर्णित उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के लिये उपरोक्तानुसार पात्र संस्थाओ द्वारा दिनांक 29/07/2024 से 12/08/2024 तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते है, नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

नोट :– चयनित संस्थाए /समूह /समिति के द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) ओदश की कंडिका 8(1), 10(2) अन्तर्गत उललेखनीय नियमानुसार अनुसार महिला स्व सहायता समूहो मे विक्रेता महिला होगी । जिसकी शैक्षणिक अर्हता बारहवीं उत्तीर्ण होगी समूह के प्रस्ताव द्वारा विक्रेता नियुक्त किया जायेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग राजगढ

Scanned with OKEN Scanner

पृ. क्रमांक / 159 - खाद्य / 2024 राजगढ, दिनांक 25 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :-

01. जिला जन सम्पर्क अधिकारी की ओर समाचार पत्रो मे विज्ञापन देने हेतु प्रेषित ।
02. जिला प्रबंधक , राज्य ग्रामीण अजिविका मिशन राजगढ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, राजगढ की ओर ऑनलाईन विभाग के पोर्टल पर विज्ञप्ति दर्ज कर खुलवाये जाने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग राजगढ

Scanned with OKEN Scanner